

20/6/16

बिना चिह्न के

पञ्जावली राजस्व लोक अदालत शिविर के
द्वारा सापल खंड उपस्थित हुआ जिसने सरपंच
ग्रा.पं. से लास्टीक शुद्ध प्रमाण प्रस्तुत कर अनुरोध
करा कि सापल का और नाम नं० 3 से सम्बंधित
हो गया है। इस प्रमाण के चलाना नहीं चाहता
है।

प्रति: प्रमाण अर्थात् निवेद्याना में
कार्यवाही बन्द की जाकर रवाजि किया जाता
है। पञ्जावली फौजल मुम्तल एका नम्बर से कम
किया जाकर वाड लक्ष्मील इतिविल इफला की
जाये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन